न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 129 / 2019

वादी :–

01. भैरूनाथ
02. भुण्डनाथ
03. पारसनाथ
04. सोहननाथ
05. संतोष नाथ
06. भीवनाथ
07. भंवरी पिसरान स्व. फुलनाथ जाति नाथ निवासी– धन्धेड़ी आसन, तहसील– सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान
02. अणची पत्नी नेपनाथ
03. कैलाशनाथ
04. भीकनाथ पिसरान नेपनाथ निवासी– धन्धेड़ी आसन, तहसील– सोजत जिला पाली।
05. समु पुत्री नेपनाथ पत्नी मिश्रीनाथ निवासी– जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
06. शांति पुत्री नेपनाथ पत्नी कैलाशनाथ निवासी सिंगपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
07. लक्ष्मणनाथ
08. नारायणनाथ
09. पारसनाथ पिसरान काननाथ
10. बालकनाथ
11. चम्पानाथ
12. हापुनाथ पिसरान जवाहरनाथ
13. जसकी पत्नी मेपनाथ पुत्र भंवरनाथ
14. देवनाथ
15. रमेशनाथ पिसरान मेपनाथ
16. भंवरी पत्नी स्व. मगनाथ
17. मदननाथ
18. गोरखनाथ
19. दिनेश नाथ
20. सुरेश नाथ
21. पिननाथ
22. गौतमनाथ पिसरान मगनाथ
23. भुण्डनाथ पुत्र स्व. जीतनाथ
24. पांचुनाथ पुत्र भैरूनाथ
25. मोहननाथ पुत्र कालूनाथ
26. सुन्दरनाथ
27. भीवनाथ
28. मोडनाथ पिसरान राजनाथ
29. भानी पत्नी स्व. नेननाथ पुत्र हरनाथ
30. भुण्डनाथ पुत्र स्व. रावतनाथ

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

31. सोहनी देवी पत्नी नारायणनाथ
32. मंगलनाथ
33. कैलाशनाथ
34. माणकनाथ
35. ओमनाथ पिसरान नारायणनाथ
36. भंवरनाथ
37. मांगनाथ
38. भुण्डी देवी पिसरान जवाहरनाथ पुत्र वनानाथ
39. दाखु पत्नी मिश्रीनाथ
40. चुन्नीनाथ
41. बाबुनाथ लूमनाथ
42. लूमनाथ
43. गोदावरी पिसरान मिश्रीनाथ पुत्र वनानाथ
44. मांगनाथ पुत्र लालनाथ पुत्र मंगलनाथ
45. पप्पूनाथ पुत्र पुकनाथ पुत्र मंगलनाथ
46. लक्ष्मी पत्नी गढगलनाथ पुत्र मंगलनाथ
47. मदन
48. राकश पिसरान ढगलनाथ पुत्र मंगनलाथ
49. हरजी पुत्र गोपनाथ
50. लाबूनाथ
51. जसनाथ
52. सुखनाथ पिसरान शंकरनाथ
53. लूम्बनाथ
54. बुधनाथ पिसरान आलनाथ पुत्र किशननाथ
55. हेमनाथ
56. देवनाथ
57. नारायणनाथ पिसरान किशननाथ
58. ओमनाथ
59. लक्ष्मणनाथ
60. हड़माननाथ
61. राजकी पिसरान मांगनाथ पुत्र किशननाथ
62. बगतनाथ
63. जगदीशनाथ पिसरान डूंगनाथ पुत्र प्रेमनाथ
64. घेवरनाथ पुत्र प्रेमनाथ
65. संतोषनाथ पुत्र प्रेमनाथ
66. पारसनाथ पिसरान मोहननाथ पुत्र

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सावतनाथ

67. मागनाथ
68. चम्पानाथ
69. पारसनाथ पिसरान रामनाथ पुत्र खीवनाथ
70. लक्ष्मणनाथ पुत्र प्रभुनाथ पुत्र खीवनाथ
71. बाबुनाथ
72. कमला
73. समु पिसरान मोहननाथ पुत्र खीवनाथ
74. भुण्डनाथ
75. श्रवणनाथ
76. गोरखनाथ
77. गणपतनाथ पिसरान गुमाननाथ पुत्र खीवनाथ
78. चन्द्री पत्नी भगनाथ
79. रतननाथ
80. भूरनाथ पिसरान भगनाथ
81. पुनमनाथ पुत्र पोकरनाथ
82. ढगली पत्नी गोविन्दनाथ
83. जालनाथ
84. हुकमनाथ पिसरान गोविन्दनाथ पुत्र पोकरनाथ
85. नपनाथ
86. श्रवणनाथ
87. लाडूनाथ
88. आबुनाथ पिसरान पोकरनाथ समस्त जातियान– नाथ, निवासीयान– आसन धन्धेड़ी तहसील– सोजत, जिला– पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक – 05/03/21

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम मण्डला तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी एवं

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 83 के पिता/पूर्वजों के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की एवं ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के खसरा संख्या 610, 628 कुल खसरा दो कुल रकबा 0.8800 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय फुलनाथ पुत्र शेरनाथ की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता फुलनाथ का 01/02 हक हिस्सा निहित था व इसी प्रकार 01/02 हक हिस्सा गणेशनाथ का स्थित था। वादपत्र में वर्णित खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 की कृषि भूमि सैटलमेंट के पूर्व पुराने खसरा संख्या 654 मिन एंव 643 से मिलकर बने है। इसी प्रकार खाता संख्या 169 के खसरा संख्या 610 व 628 सैटलमेन्ट पूर्व पुराने खसरा संख्या 266 मिन से मिलकर बने है, जो कि राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान से बखुबी साबित है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि के प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वक्त इन्द्राज वादीगण के पिता फुलनाथ पुत्र शेरनाथ के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ के स्थान पर गणेशनाथ त्रुटिवश इन्द्राज कर दी गई, जबकि फुलनाथ के जाईन्दा पिता शेरनाथ थे। गणेशनाथ, शेरनाथ के सगे भाई थे। केरनाथ के दो पुत्र शेरनाथ व गणेशनाथ थे। शेरनाथ के एक पुत्र फुलनाथ था जिसके वंशज गंगा, भैरूनाथ, भुण्डनथ, पारसनाथ, सोहननाथ, सेंषनाथ, भीवनाथ, भंवरी है। गणेशनाथ के दो पुत्र भगनाथ एंव पोकरनाथ है, जिसमें भगनाथ के वंशज चन्द्री, रतननाथ, भूरनाथ है पोकरनाथ के पुनमनाथ, नेपनाथ, श्रवणनाथ, लाडूनाथ, अबूनाथ, गोविन्दनाथ है। जिसमें गोविंदनाथ फौत है जिसमें का.मू. ढगली, जलानाथ, हुकमनाथ है। वादीगण के परदादा केननाथ थे जिनके उतराधिकारी वारिसान में दो पुत्र शेरनाथ एंव गणेशनाथ हुए तथा शेरनाथ के उतराधिकारी वारिसान में फुलनाथ हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है। भगवाननाथ के उतराधिकारी वारिसान प्रतिवादी संख्या 73 लगायत 75 एवं पोकरनाथ के उतराधिकारी वारिसान में छ पुत्र हुए जिसमें से एक पुत्र गोविन्दनाथ का स्वर्गवास हो चुका है। पोकरनाथ गोविन्दनाथ के उतराधिकारी वारिसान प्रतिवादी संख्या 76 लगयात 83 है। प्रतिवादी संख्या 07 लगयाय 09 स्वयं जीवित है जो राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राजसुदा है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 06, 10 लगायत 72 के पिता/पूर्वज/ससुर/दादा इत्यादि है, जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार इन्द्राजसुदा है। जिन तमाम का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उक्त प्रतिवादीगण संख्या दो लगायत छ व 10 लगायत 72 विधिक उतराधिकारी वारिसान होने से बतौर प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार बनाए गए है। वाद पत्र में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा चार कुल रकबा 4.9100 हैक्टर जिसके सैटलमेन्ट पूर्व पुराने खसरा संख्या 654 मिन व 643 की कृषि भूमि वादीगण के पिता फुलनाथ पुत्र शेरनाथ की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी। जिसमें वादीगण के पिता फुलनाथ पुत्र शेरनाथ का 01/12 हक हिस्सा अकेले का खातेदरी हक हकूक का स्थित था व इसी प्रकार वादस्थ भूमि के खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर की भूमि जिसके पुराने खसरा संख्या 266 मिन थे। उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादीगण के पिता फुलनथ पुत्र शेरनाथ का 01/02 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। लेकिन उपरोक्त दोनो वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि के प्रथम सैटलमेन्ट में राजस्व/सैटलमेन्ट कर्मचारीयों के द्वारा वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीयत विधि विरूद्ध रूप से गणेशनाथ इन्द्राज कर दी गई। जबकि वादीगण के पिता फुलनाथ की सही वल्दीय शेरनाथ थी। खाता संख्या 169 में फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ दर्ज नहीं कर गणेशनाथ कर दिया तथा फुलनाथ भगनाथ को गणेशनाथ का वारिस दर्शा दिया गया जबकि फुलनाथ शेरनाथ का पुत्र है तथा भगनाथ गणेशनाथ का पुत्र है। जिस पर वादीगण द्वारा वादस्थ भूमि के संबधित पुराने राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां संबंधित पाली विभाग से दिनांक 26.07.2019 को प्राप्त करने व उसके पश्चात अन्य राजस्व रेकर्ड की जमाबंदिया प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीयत गलत रूप से शेरनाथ के स्थान पर गणेशनाथ दर्ज कर दी । इसी प्रकार फुलनाथ के साथ भूरनाथ को भी वादस्थ भूमि में खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि फुलनाथ की सही वल्दीयत शेरनाथ है। गणेशनाथ फुलनाथ के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

काका थे तथा गणेशनाथ के उतराधिकारी वारिसान भगनाथ एवं पोकरनाथ हुए जिनके उतराधिकारी वारिसान प्रविादीगण बनाए गए है जिनका वादस्थ भूमि में पृथक से 01/12 हक हिस्सा इन्द्राजसुदा है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीगण के पिता फुलनाथ की सही वल्दीयत शेरनाथ है। इतना ही नहीं ग्राम मण्डला के प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 के खसरा संख्या 361 व 365 में भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीय शेरनाथ दर्ज की है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीयत सैटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा बिना दस्तावेजी एवं बिना वारिसान की जांच किए त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गणेशनाथ इन्द्राज कर दी, जिसे वादीगण दुरूस्त करवा कर फुलनाथ के स्थान पर शेरनाथ इन्द्राज करवा कर भूरनाथ का नाम राजस्व रेकर्ड में हटवा कर फुलनाथ के स्थान पर वादीगण के नाम की खाता संख्या 140 में 01/12 वां हिस्से की व खाता संख्या 169 में 01/02 हक हिस्से में वादीगण फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ दुरूस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रतिवादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवा कर फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ दुरूस्त करवा कर फुलनाथ के 01/12 वां हक हिस्से में वादीगण अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने व इसी प्रकार ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर में 01/02 हक हिस्से में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दरूस्त करवा कर फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ दुरूस्त करवाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 व 07 से 83 बावजूद तामीली सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 12.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहने से प्रतिवादी को स्ट्रे आउट किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित प्रति ग्राम मण्डला के वर्तमान खसरा नम्बर 776 से 779 की वर्तमान जमाबंदी 2071 से 2074, प्रमाणित प्रति ग्राम मण्डला के खसरा नम्बर 610 व 628 की वर्तमान जमाबंदी 2071 से 2074, फेटे प्रति ग्रम मण्डला के पुराने खसरा नम्बर 361, 365 की जमाबंदी 2010 से 2019, फोटो प्रति वादीगण के पिता फुलनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति वादस्थ भूमि के खसरा मिलान की, फोटोप्रति ग्राम मण्डला के पुराने खसरा नम्बर 361 व 365 के खसरा मिलान की, प्रमाणित प्रति वादस्थ भूमि के पुराने खसरा नम्बर 266 की जमाबंदी 2025 से 28 व 2010 से 2019, प्रमाणित प्रति ग्राम मण्डला के पुराने खसरा नम्बर 654, 653 की जमाबंदी 2010 से 2019, फोटो प्रति वादीगण के आधार कार्ड व पहचान पत्र की पेश की है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों, पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवा कर फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ शुद्धि करवा कर फुलनाथ के 01/12 वां हक हिस्से में वादीगण अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने व इसी प्रकार ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रकबा 0.8800 हैक्टर में 01/02 हक हिस्से में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवा कर फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ शुद्धि करवाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों एवं अन्य राजस्व रेकर्ड ग्राम मण्डला के प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 के खसरा संख्या 361 व 365 में भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीय शेरनाथ दर्ज की है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण के पिता फुलनाथ की वल्दीयत सैटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा बिना दस्तावेजी एवं बिना वारिसान की जांच किए त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गणेशनाथ इन्द्राज कर दी गई। जिससे खाता संख्या 169 में 01/02 हक हिस्से में वादीगण फुलनाथ की वल्दीयत शेरनाथ दुरूस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। लिहाजा वादी के वाद में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ दुरूस्त करवा कर फुलनाथ के 01/12 वां हक हिस्से में वादीगण अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने व इसी प्रकार ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर में 01/02 हक हिस्से में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ के नाम से रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । सरहद मौजा मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ दुरूस्त करने इसी प्रकार ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर में 01/02 हक हिस्से में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. भैरूनाथ
02. भुण्डनाथ
03. पारसनाथ
04. सोहननाथ
05. संतोष नाथ
06. भीवनाथ
07. भंवरी पिसरान स्व. फुलनाथ जाति नाथ निवासी– धन्धेड़ी आसन, तहसील– सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान
02. अणची पत्नी नेपनाथ
03. कैलाशनाथ
04. भीकनाथ पिसरान नेपनाथ निवासी– धन्धेड़ी आसन, तहसील– सोजत जिला पाली।
05. समु पुत्री नेपनाथ पत्नी मिश्रीनाथ निवासी– जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
06. शांति पुत्री नेपनाथ पत्नी कैलाशनाथ निवासी सिंगपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
07. लक्ष्मणनाथ
08. नारायणनाथ
09. पारसनाथ पिसरान काननाथ
10. बालकनाथ
11. चम्पानाथ
12. हापुनाथ पिसरान जवाहरनाथ
13. जसकी पत्नी मेपनाथ पुत्र भंवरनाथ
14. देवनाथ
15. रमेशनाथ पिसरान मेपनाथ
16. भंवरी पत्नी स्व. मगनाथ
17. मदननाथ
18. गोरखनाथ
19. दिनेश नाथ
20. सुरेश नाथ
21. पिननाथ
22. गौतमनाथ पिसरान मगनाथ
23. भुण्डनाथ पुत्र स्व. जीतनाथ
24. पांचुनाथ पुत्र भैरूनाथ
25. मोहननाथ पुत्र कालूनाथ
26. सुन्दरनाथ
27. भीवनाथ
28. मोडनाथ पिसरान राजनाथ
29. भानी पत्नी स्व. नेननाथ पुत्र हरनाथ
30. भुण्डनाथ पुत्र स्व. रावतनाथ
31. सोहनी देवी पत्नी नारायणनाथ

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

32. मंगलनाथ
33. कैलाशनाथ
34. माणकनाथ
35. ओमनाथ पिसरान नारायणनाथ
36. भंवरनाथ
37. मांगनाथ
38. भुण्डी देवी पिसरान जवाहरनाथ पुत्र
39. वनानाथ
40. दाखु पत्नी मिश्रीनाथ
41. चुन्नीनाथ
42. बाबुनाथ लूमनाथ
43. गोदावरी पिसरान मिश्रीनाथ पुत्र वनानाथ
44. मांगनाथ पुत्र लालनाथ पुत्र मंगलनाथ
45. पप्पूनाथ पुत्र पुकनाथ पुत्र मंगलनाथ
46. लक्ष्मी पत्नी गढगलनाथ पुत्र मंगलनाथ
47. मदन
48. राकश पिसरान ढगलनाथ पुत्र मंगनलाथ
49. हरजी पुत्र गोपनाथ
50. लाबूनाथ
51. जसनाथ
52. सुखनाथ पिसरान शंकरनाथ
53. लूम्बनाथ
54. बुधनाथ पिसरान आलनाथ पुत्र किशननाथ
55. हेमनाथ
56. देवनाथ
57. नारायणनाथ पिसरान किशननाथ
58. ओमनाथ
59. लक्ष्मणनाथ
60. हड़माननाथ
61. राजकी पिसरान मांगनाथ पुत्र किशननाथ
62. बगतनाथ
63. जगदीशनाथ पिसरान डूंगनाथ पुत्र प्रेमनाथ
64. घेवरनाथ पुत्र प्रेमनाथ
65. संतोषनाथ पुत्र प्रेमनाथ
66. पारसनाथ पिसरान मोहननाथ पुत्र सांवतनाथ
67. मांगनाथ

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

68. चम्पानाथ
69. पारसनाथ पिसरान रामनाथ पुत्र खीवनाथ
70. लक्ष्मणनाथ पुत्र प्रभुनाथ पुत्र खीवनाथ
71. बाबुनाथ
72. कमला
73. समु पिसरान मोहननाथ पुत्र खीवनाथ
74. भुण्डनाथ
75. श्रवणनाथ
76. गोरखनाथ
77. गणपतनाथ पिसरान गुमाननाथ पुत्र खीवनाथ
78. चन्द्री पत्नी भगनाथ
79. रतननाथ
80. भूरनाथ पिसरान भगनाथ
81. पुनमनाथ पुत्र पोकरनाथ
82. ढगली पत्नी गोविन्दनाथ
83. जालनाथ
84. हुकमनाथ पिसरान गोविन्दनाथ पुत्र पोकरनाथ
85. नपनाथ
86. श्रवणनाथ
87. लाडूनाथ
88. आबुनाथ पिसरान पोकरनाथ समस्त जातियान– नाथ, निवासीयान– आसन धन्धेड़ी तहसील– सोजत, जिला– पाली।

उपखण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 129/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 776, 777, 778, 779 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ दुरूस्त करने इसी प्रकार ग्राम मण्डला के वर्तमान खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा संख्या 610 व 628 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर में 01/02 हक हिस्से में फुलनाथ की वल्दीयत गणेशनाथ के स्थान पर शेरनाथ के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान -- मुबलिग -- बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/03/21 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मददई	रुपया	न.पै.	मुददायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)